# न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

| मिसल संख्या | तारीख दायरा | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| मैनुअल नं.114 / प्रा.पत्र / 2023 ( GCMS No. 2023 / 167 ) | 01.08.2023 | 05.02.2024 |

लोकेश बंजारा आ. गोरू बंजारा जाति बंजारा,
निवासी भीला खेडा मारवन, तहसील डूंगला
जिला चित्तोडगढ़ (राज.)

— प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जर्ये लोक अभियोजक, बून्दी

— अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–A राज.गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमयन) अधिनियम 1995**

उपस्थिति –

प्रार्थी की ओर से श्री ओम प्रकाश वर्मा, एडवोकेट।
अप्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक।

## निर्णय

यह कार्यवाही प्रार्थी द्वारा जर्ये अभिभाषक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अवगत कराया कि पुलिस थाना दबलाना जिला बून्दी द्वारा प्रार्थी के वाहन टाटा 407 रजिस्ट्रेशन नं0 आर.जे. 18 जी.ए. 3801, इंजन नं. 497 एसपीटीसी 39 एनजेडवाई 649886 चेसिस नं. एमएटी 455021 ए 8 एन 43283 मॉडल 2010 है, को जब्त कर लिया गया है। प्रकरण में पुलिस अपना अनुसंधान पूर्ण कर चुका है तथा अब पुलिस को उक्त वाहन की कतई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी उक्त वाहन के रजिस्टर्ड ओनर गोपाल जाट आ. मांगीलाल निवासी सरूण्डियों का मोहल्ला सादडी तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द का मुख्तार आम है, जिसे उक्त वाहन को अपनी सुपुदर्गी में लेने का अधिकार प्राप्त है। उक्त वाहन के जप्त रहने की दशा में उक्त वाहन खराब होने की पूर्ण आशंका है, क्योंकि जप्ती की दशा में उक्त वाहन की देखरेख संभव नहीं है। जब भी अदालत हाजा उक्त वाहन को तलब करेंगें, प्रार्थी हाजिर अदालत होकर पेश करता रहेगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश प्रदान करे।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 114/2023 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2023/167 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया तथा केस डायरी थाना दबलाना से तलब की गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना दबलाना की ओर से प्रकरण संख्या 128/2023 धारा 5, 6, 8, 9, 11(1)(घ) गोवंश अधिनियम की पत्रावली की गई। तत्पश्चात मामलें में बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि प्रकरण में थाना दबलाना, जिला बून्दी द्वारा प्रार्थी के स्वामित्व, हक अधिकार का एक वाहन टाटा–407 को वजह सबूत जप्त कर रखा है। उक्त वाहन के कागजात जैसे रजिस्ट्रेशन, बीमा, परमिट की फोटोप्रतियां संलग्न पेश की हुई है। प्रकरण में पुलिस द्वारा तफ्तीश पूर्ण कर ली गई है तथा पुलिस को उक्त वाहन की वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त वाहन थाना दबलाना के खुले प्रांगण में खडा हुआ है जिससे वाहन के कलपुर्जे खराब होने का पूर्ण संभावना है। प्रार्थी ही जर्ये मुख्तार आम उक्त वाहन का मालिक एवं स्वामी है जो सुपुर्दगी में लेने के लिए सक्षम व्यक्ति होने से माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उचित सुपुर्दगीनामा व जमानतानामा प्रस्तुत करने को तैयार है। बाद सुपुर्दगी जब भी माननीय न्यायालय उक्त वाहन को तलब करेंगे, तब प्रार्थी समय समय पर न्यायालय में पेश कर देगा तथा समस्त शर्तो का प्रार्थी पूर्णतः पालना करेगा। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकरण में जब्तशुदा वाहन को प्रार्थी को सिपुर्दगी में दिलाये जाने का निवेदन किया गया।

राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस के दौरान तथ्यात्मक रिपोर्ट थानाधिकारी, पुलिस थाना दबलाना का अवलोकन करवाते हुए कथन किया कि दिनांक 24.05.2023 को सूचना मिली कि मेण्डी तिराहे के आगे नेशनल हाईवे 148 डी पर गौवंश से भरी एक टाटा–407 मय चालक के गौसेवकों एवं ग्रामीणों द्वारा पकड रखा है। जाप्ते को मौके पर एक टाटा–497 रजिस्ट्रेशन नं0 आरजे 18 जीए 3801 सडक के किनारे खडी हुई मिली। मौके पर उपस्थित गवाहान के सहयोग से उक्त वाहन के पीछे की फाटक खोलकर देखा तो कुल 07 नग गौवंश (नर बछडे) 3 से 6 साल की आयु के निदर्यतापूर्वक ठूस ठूस कर भरे हुये पाये गये, कई बछडे घायल अवस्था में वाहन के बंधे हुये मिले जिनकी गर्दन एक–दूसरे के ऊपर पडी हुई थी, जिनके शरीर पर चोटों के निशान आये हुये थे। वाहन में पानी तथा चारे की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमराही जाब्ते व उक्त गवाहान की सहायता से चेक किया गया वाहन में भरे गौवंश के परिवहन करने बाबत वैध लाईसेंस या किसी नगर/पंचायत द्वारा गौवंश परिवहन करने बाबत प्रशासनिक स्वीकृति व गौवंश का चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट नहीं होना पाया गया। पकडे गये

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

वाहन से मध्यप्रदेश से गौवंश बछडों को बध किये जाने के उद्देश्य के लिये एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन करना स्पष्ट प्रतीत होता है। ऐसे में उक्त कृत्य धारा 5, 6/8, 9 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवर्जन या निर्यात का विनिमयन) अधिनियम 1995 व धारा 11(1)(डी) पशु कूरता निवारण अधिनियम,1960 के अपराध की श्रेणी में आने से मुकदमा नम्बर 128/2023 धारा 5, 6/8, 9 गोवंश अधिनियम एवं धारा 11(1)(डी) पशु कूरता निवारण अधिनियम दर्ज रजिस्टर कर उक्त वाहन मय गौवंश को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे पुलिस लिया गया। गौवंश जयनिवास गौशाला के संचालक को अस्थाई तौर पर सिपुर्द किया गया तथा वाहन को थाना परिसर में खडा करवाया गया। अतः अभियोग संख्या 128/2023 पुलिस थाना दबलाना पर जप्तशुदा उक्त वाहन के निस्तारण की कार्यवाही की जावें।

न्यायालय द्वारा पत्रावली व केस डायरी तथा तथात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे जाहिर आया कि बिना चिकित्सक परीक्षण रिपोर्ट व बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के वाहन टाटा–407 रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ 18 GA-3801 में ठूस–ठूस कर निर्दयता पूर्वक कुल 07 गोवंश को भरकर गोकशी के लिए ले जाते पाया गया है। जिस पर पुलिस थाना दबलाना द्वारा मुकदमा संख्या 128/2023 दिनांक 24.05.2023 पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई। उक्त वाहन टाटा–407 रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ 18 GA-3801 चेसिस नं. MAT455021A8N43283 का मालिक गोपाललाल जाट आ. मांगीलाल निवासी सरूण्डियों का मोहल्ला सादडी तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द होना आर.सी. दिनांक 04.02.2011 से प्रकट है। जिसका बीमा दिनांक 10.07.2023 तक प्रभावी था। प्रार्थी ने प्रकरण में जब्तशुदा वाहन बाबत तफ्तीश पूर्ण हो जाना बताते हुये वाहन थाना परिसर दबलाना में खुले में खडा होने से उसके खराब होने का अंदेशा जाहिर करते हुये सुपुर्दगी में दिये जाने का निवेदन किया है। ऐसे में सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जप्तशुदा वाहन टाटा–407 रजिस्ट्रेशन नं. RJ 18 GA-3801 को प्रार्थी की सुपुर्दगी में 10 लाख के जमानत नामा व सुपुर्दगी नामा पर देने का आदेश निम्न शर्तो की पालना के अध्यधीन दिया जाता है :–

1. वाहन को रहन/बेचान नहीं करेगा।
2. बीमा अवधि समाप्त होने के पूर्व वाहन का बीमा रिन्युअल करवायेगा।
3. वाहन का रंगरोगन परिवर्तित नहीं करेगा।
4. जब भी न्यायालय वाहन को तलब करेगा, अपने खर्चे पर साक्ष्य हेतु पेश करेगा

आदेश आज दिनांक 05.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( अक्षय गोदारा )
जिला कलक्टर, बून्दी

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते